



Chhattisgarh Environment Conservation Board

Inspection Manual

(Complete guide for Inspection of Units)

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD |
Address: Commercial Complex, Chhattisgarh Housing Board Colony,
Kabir Nagar, Raipur (Chhattisgarh), India
Phone: 0771-2970070
Email - hocecb@gmail.com

Table of Contents

1	Risk Based Assessment	2
1.1	Risk classification criteria	2
2	Inspection Procedure Steps	3
3	List of Documents	4
4	Format of Inspection form	6
5	Timelines & other instructions for Inspector	6
6	Download Inspection Report	7
7	Annexure 1	9

1 Risk Based Assessment

The inspection procedure for the establishment has been determined on the basis of their classification into different categories with respect to various risk parameters. The establishments are categorised in Red, Orange, Green & white industries.

1.1 Risk classification criteria

Table 1: Type of Inspection required for white, green, orange and red units

	White	Green	Orange	Red
<i>Type of Inspection Required</i>	Exempted	Exempted	Departmental Inspection*	Departmental Inspection*


Table 2: Frequency of Inspection required for white, green, orange and red units

	White	Green	Orange	Red	Units generating Hazardous Waste
<i>Small</i>	Exempted	Exempted	Every 9 months	Every 6 months	Every 6 months
<i>Medium</i>	Exempted	Exempted	Every 6 months	Every 3 months	Every 3 months
<i>Large</i>	Exempted	Exempted	Every 6 months	Every 3 months	Every 3 months

*Departmental Inspection: All the industry falling under Orange and Red, will be inspected by Departmental inspector according to the frequency above. The inspection form is available in the Annexure 1 (A)

2 Inspection Procedure Steps

A. For Departmental Verification



- ✓ Based on computerized risk assessment, list of industries are populated by the online system, which are need to be inspected (as shown below):

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top: Home, Consent Management, Laboratory Management, Waste Management, CESS Management, Inspection Management, Reports, Knowledge Base, Logout. On the left, there is a sidebar with options: User Management, Consent Application Search, Change Password, Inspection Fwd Notice (7), Send us your feedback and suggestions, and a link for complaints or query. The main content area features a large image of a tree and a welcome message for an employee. Below this, there are tabs for 'Recent Applications' and 'All Applications'. A table displays the following data:

Application No	Updated Date	Application For	Application Name	Type	Certificate For
249330	29-06-2016 12:40	both	NARAYAN POHA UDYOG	CTO	reNew
249305	29-06-2016 12:40	both	NARAYAN FOOD PROCESS	CTO	reNew
227600	29-06-2016 12:38	both	M/S SHRI GANESHA GLOBAL GIRAJI PRIVATE LIMITED	CTO	reNew
223183	27-06-2016 01:3	both	M/S ULTRATECH CEMENT LTD RAWAN CEMENT WORKS	CTE	Modern
233373	23-06-2016 03:0	both	UDAY SPONGE AND POWER PRIVATE LIMITED	CTO	reNew
225845	09-06-2016 01:8	both	JINDAL STEEL AND POWER LIMITED	CTO	reNew
196452	09-06-2016 01:4	both	SHIVALDI POWER AND STEEL (P) LTD.	CTO	reNew
211401	07-06-2016 05:0	both	Fortune Resources Private Limited	CTE	new
210303	07-06-2016 12:0	both	Goldbricks Infrastructure Private Limited	CTE	new
217492	26-05-2016 03:5	both	MONNET ISPAT AND ENERGY LTD	CTO	reNew

- ✓ Complete application and attached documents can be reviewed by the competent authority (as shown below):

The screenshot shows a web application form for reviewing an application. The form includes the following fields and options:

- Last Comments:**
 - Date Time: 27-06-2016 04:47
 - Note By: SE AKB(CECB005)
 - Activity: Forward
 - Description:
- Attached Letter:** Letter Attached By Officials, View Letter
- Assign To:** RO RATPUR (dropdown menu)
- File Note:** (text input field)
- Attach letter (If Any):** Browse... No file selected. (.doc,.txt max of 2MB in size)
- Do you want to raise clarification ? :** Yes (selected) No
- Clarification Note :** (text input field) Copy To
- Reply clarification within :** (text input field) days.
- Attach letter for Clarification Report:** Browse... No file selected. (.doc,.txt max of 2MB in size) Copy To
- Do you want to raise Inspection ? :** Yes (selected) No

- ✓ Computerized allocation of inspectors (as shown below):

Application No :	32878
Inspection Mapped To PCB Officer :	<input checked="" type="checkbox"/> MK Shrivastav Rpr - RO <input checked="" type="checkbox"/> SK Khanna Rpr - RO <small>Note: Please un-check to restrict forwarding message.</small>
Add PCB Officer To Be Mapped (HO) :	<input type="text"/> <input type="button" value="Add HO"/>
Add PCB Officer To Be Mapped (RO) :	RO JAGDALPUR - RO <input type="button" value="Add RO"/>
Inspection Assigned To PCB Officer :	MK Shrivastav Rpr <input type="text"/>
Inspection Note :	<input type="text"/>
Reply inspection within Days :	5 <input type="text"/>
Upload Document :	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="button" value="Forward"/>	

- ✓ After the inspection duly carried out, inspector uploads inspection report within 48 hours (as shown below):

File Noting/Action	
Last Comments	
Date Time:	27-06-2016 01:30
Note By:	SE ACM(CECB010)
Activity:	Forward
Description:	
Activity:	Inspection View Report
Description:	Please Send I.R. after receiving desired Information from Project Proponent.
Attached Letter:	Letter Attached By Officials View Letter
Assign To :	RO RAIPUR <input type="text"/>
File Note :	<input type="text"/>
Attach letter (IF Any):	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> (.doc,.txt max of 2MB in size)
Do you want to Close Inspection ? :	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Inspection Note :	<input type="text"/> <input type="button" value="Copy To"/>
Upload Report :	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> (.doc,.txt max of 2MB in size) <input type="button" value="Copy To"/>
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Reset"/>	

3 List of Documents

Following are the list of documents which the establishment/unit need to present at the time of Departmental Inspection.

FOR RED CATEGORY INDUSTRIES:-

For New Industry Sites	For Existing Industry Sites
<ol style="list-style-type: none"> 1. Location and details of water bodies. 2. Location and details of habitations. 3. Location and details of other industries. 4. Location and details of roadways and railways. 5. Location and details of environmentally sensitive areas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. All manufacturing processes/operations. 2. Sources, treatment and consumption locations of fresh water and related records. 3. The sources of generation of waste water and air pollutants emission, their treatment/control arrangements and disposal/usages of treated effluent and discharge (if any). 4. The sources of generation of hazardous and non-hazardous solid wastes, their collection, handling, storage, transport, treatment and disposal activities and related records. 5. Readings of flow meters fixed for measurement of consumption of water in different heads and wastewater pipelines. 6. Readings of energy meters connected with waste water treatment and disposal arrangements and air pollution control arrangements. 7. Readings of online continuous stack emission monitoring system and online effluent quality monitoring system. 8. Compliance of CTE/CTO/Consent Renewal conditions.

FOR ORANGE CATEGORY INDUSTRIES :-

For New Industry Sites	For Existing Industry Sites
<ol style="list-style-type: none"> 1. Location and details of water bodies. 2. Location and details of habitations. 3. Location and details of other industries. 4. Location and details of roadways and railways. 5. Location and details of environmentally sensitive areas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. All manufacturing processes/operations. 2. Sources, treatment and consumption locations of fresh water and related records. 3. The sources of generation of waste water and air pollutants emission, their treatment/control arrangements and disposal/usages of treated effluent and discharge (if any). 4. The sources of generation of hazardous and non-hazardous solid wastes, their collection, handling, storage, transport, treatment and disposal activities and related records. 5. Readings of flow meters fixed for measurement of consumption of water in different heads and wastewater pipelines. 6. Readings of energy meters connected with waste water treatment and disposal arrangements and air pollution control arrangements. 7. Readings of online continuous stack emission monitoring system and online effluent quality monitoring system. 8. Compliance of CTE/CTO/Consent Renewal conditions.

FOR GREEN CATEGORY INDUSTRIES:-

For New Industry Sites	For Existing Industry Sites
<ol style="list-style-type: none">1. Location and details of water bodies.2. Location and details of habitations.3. Location and details of other industries.4. Location and details of roadways and railways.5. Location and details of environmentally sensitive areas.	<ol style="list-style-type: none">1. All manufacturing processes/operations.2. Sources, treatment and consumption locations of fresh water and related records.3. The sources of generation of waste water and air pollutants emission, their treatment/control arrangements and disposal/usages of treated effluent and discharge (if any).4. The sources of generation of hazardous and non-hazardous solid wastes, their collection, handling, storage, transport, treatment and disposal activities and related records.5. Readings of flow meters fixed for measurement of consumption of water in different heads and wastewater pipelines.6. Readings of energy meters connected with waste water treatment and disposal arrangements and air pollution control arrangements.7. Readings of online continuous stack emission monitoring system and online effluent quality monitoring system.8. Compliance of CTE/CTO/Consent Renewal conditions.

4 Format of Inspection form

Links of formats of inspection for granting Consent to Establish, Consent to Operate and regular inspection are given in Annexure 1 (A)

Please note that one time initial inspection is compulsory for all the establishments, the later inspections to follow the schedule and method of inspection as given in the Frequency of Inspection table in section 1.2

The inspection process abides the CG Govt. order:

<http://www.enviscecb.org/Inspection%20Procedure.htm>

5 Timelines & other instructions for Inspector

1. The inspector must upload the Inspection Report within 48 hours of the physical inspection
2. Inspectors will be allocated randomly in the online module and same inspector will not inspect the same establishment twice consecutively.
3. Users can login, view and download the inspection report uploaded by the inspector only after 48 hours of inspection.

6 Download Inspection Report

Downloading inspection report

Users can login, view and download the inspection report uploaded by the inspector only after 48 hours of inspection using the following stepwise process:

1. Log in With your ID and Password:
2. For log in select Industrial Login radio button, then give your ID & Password and click “Login Button”
3. After logging in, select “Completed Application”



The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a banner image of a tree on a grassy hill under a blue sky. Below the banner, a blue bar contains the text "Welcome CREST STEEL AND POWER (P) LTD.". Below this, there are two tabs: "In-progress Application" and "Completed Application". The "Completed Application" tab is selected and circled in red. Below the tabs is a table with the following data:

Application No	Application Date	Application For	Application Name	Type	Certificate For	Status	S
25908	31-12-2014 08:56	both	CREST STEEL AND POWER (P) LTD.	CTO	reNew	Granted	
166680	22-12-2015 03:40	both	CREST STEEL AND POWER (P) LTD.	CTO	reNew	Granted	

4. Select “View Inspection Report” to download the Inspection report.



View Certificate | **View Inspection report**

General	Product	Fee	W Emiss./Disch.	Air Emission	Documents	Print(Air Water)
General Details						
Consent Type*:	CTO					
Consent For*:	both					
Application For* :	reNew					
Industry Details						
Industry Name*:	CREST STEEL AND POWER (P) LTD.					
Category:	RED					
Industry Type:	Integrated Iron and Steel					
Other Industry Type Detail:	Sponge,Steel Billets,POWER					
Status:	operational					
Commisioning Year:	2005					
Registration/License No.:	3168					
Capital Investment of Plant & Machinery*:	53600.0 Lakhs					
Capital Investment	53600.0 Lakhs					
Address*:	VILLAGEJORATARAI POMANGATTA RRAJNANDGAON					
City:	rajnandgaon					
Pin:	491441					
S.T.D. Code(Phone) :*:	0788					

5. After Clicking on view inspection report Inspection Report will Download:-

- ▾ Industry Profile
- ▾ Change Password
- ▾ Online Payment Record
- ▾ Fee Calculator
- ▾ e-Wallet Management
- ▾ Delete InProgress Applications

Send us your **feedback** and suggestions

click here for any kind **complaints or query** ↓

View Certificate | View Inspection report

General	Product	Fee	W Emiss./Disch.	Air Emission	Documents	Print(Air Water)
General Details						
Consent Type*:	CTO					
Consent For*:	both					
Application For* :	reNew					
Industry Details						
Industry Name*:	CREST STEEL AND POWER (P) LTD.					
Category:	RED					
Industry Type:	Integrated Iron and Steel					
Other Industry Type Detail:	Sponge,Steel Billets,POWER					
Status:	operational					
Commisioning Year:	2005					
Registration/License No.:	3168					
Capital Investment of Plant &	53600.0 Lakhs					

crust-13.2.15_opt (1).pdf 23 KB

6. Example of Inspection report is :-



क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक 2435 / क्षेत्रीय कार्या / छपसंमं / भिलाई / 2015

दिनांक 29/11/15

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
रायपुर (छ.ग.)।

विषय :- मे0 क्रस्ट स्टील एवं पावर प्रा0 लि0, ग्राम जोरातराई, जिला राजनांदगांव के स्पंज आयरन (1 X 350 टन/दिन, डी.आर.आई.क्लिन) क्षमता-1,15,500 मी. टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी आधारित पावर प्लांट क्षमता-08 मेगावाट एवं एफ. बी.सी. आधारित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता-08 मेगावाट के जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण बाबत निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ:- बोर्ड मुख्यालय का पत्र पृ.क्रमांक 5511 दिनांक 28.11.2014

-0-

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अनुक्रम में मे0 क्रस्ट स्टील एवं पावर प्रा0 लि0, ग्राम जोरातराई, जिला राजनांदगांव के स्पंज आयरन (1 X 350 टन/दिन, डी.आर.आई.क्लिन) क्षमता-1,15,500 मी.टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी आधारित पावर प्लांट क्षमता-08 मेगावाट एवं एफ. बी.सी. आधारित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता-08 मेगावाट के जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण बाबत निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

निरीक्षण रिपोर्ट

(संचालन सम्मति की वैद्यता वृद्धि / नियमितीकरण तथा सम्मति नवीनीकरण हेतु
निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप)

01.	उद्योग का नाम	मे0 कस्ट स्टील एवं पावर प्रा0 लि0, ग्राम-जोरातराई, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
02.	स्थल का खसरा नम्बर।	1181, 1182, 1191, 1192, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1258, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1184/3, 1209, 1197
03.	स्थल का कुल क्षेत्रफल।	83.00 एकड
04.	स्थल का पटवारी हल्का नम्बर।	16
05.	स्थल के ग्राम (ग्रामों) का नाम।	जोरातराई
06.	ग्राम पंचायत (पंचायतों) का नाम, जिसके अंतर्गत उद्योग स्थल आता है।	जोरातराई
07.	ब्लॉक	धुमका
08.	तहसील	राजनांदगांव
09.	जिला	राजनांदगांव
10.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम।	अजय गेडाम, क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 अनीता सांवत, वैज्ञानिक
11.	निरीक्षण दिनांक एवं समय।	12.01.2015
12.	निरीक्षण के दौरान उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम।	श्री जय थॉमस, जी.एम.(कार्पोरेट अफेयर)
13.	कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट (लाख रुपये में)।	1,18,18,76,359 (31.03.2013 की स्थिति में)
14.	कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पुष्टि का आधार।	सी.ए. सर्टिफिकेट
15.	उद्योग का प्रकार (रेड, आरेन्ज, ग्रीन)।	रेड

16.	उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक।	दिनांक- 04.03.2006
		उत्पाद का नाम / उत्पादन क्षमता-
		स्पंज आयरन- 1,15,500 मी0टन/वर्ष
		वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड पावर प्लांट- 08 मेगावाट
		ए.एफ.बी.सी. पावर प्लांट- 08 मेगावाट

17.	उद्योग को जारी संचालन सम्मति का विवरण।	जल सम्मति		वायु सम्मति	
		पत्र क्रमांक- 746		पत्र क्रमांक- 748	
		दिनांक- 14.02.2006		दिनांक- 14.02.2006	
		उत्पाद का नाम / उत्पादन क्षमता-			
		स्पंज आयरन- 1,15,500 मी0टन/वर्ष			
		वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड पावर प्लांट- 08 मेगावाट			
		जल सम्मति		वायु सम्मति	
		पत्र क्रमांक- 2461		पत्र क्रमांक- 2463	
		दिनांक- 15.05.2008		दिनांक- 15.05.2008	
		ए.एफ.बी.सी. पावर प्लांट- 08 मेगावाट (तीन माह हेतु)			
		जल सम्मति		वायु सम्मति	
		पत्र क्रमांक- 9055		पत्र क्रमांक- 9057	
		दिनांक- 24.01.2009		दिनांक- 24.01.2009	
		ए.एफ.बी.सी. पावर प्लांट- 08 मेगावाट			

18.	उद्योग को जारी अद्यतन संचालन सम्मति नवीनीकरण का विवरण।	जल सम्मति अद्यतन नवीनीकरण		वायु सम्मति अद्यतन नवीनीकरण	
		पत्र क्रमांक - 5419		पत्र क्रमांक - 5421	
		दिनांक- 18.02.2014		दिनांक- 18.02.2014	
		दिनांक 01.02.2014 से 31.01.2015			
		उत्पाद का नाम / उत्पादन क्षमता -			
		स्पंज आयरन- 1,15,500 मी0टन/वर्ष			
		वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड पावर प्लांट- 08 मेगावाट			
		ए.एफ.बी.सी. बेस्ड पावर प्लांट- 08 मेगावाट			

19.	प्रतिदिन प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का नाम एवं मात्रा। (यदि कोई खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाना है तो, पूर्ण विवरण यथा स्रोत, मात्रा, श्रेणी आदि की जानकारी प्रस्तुत करें।)	नाम	मात्रा
		आयरन ओर कोल	500 मी0टन/दिन
		डोलोमाइट	420 मी0टन/दिन
		डब्ल्यूएचआरबी पावर प्लांट कोल (ए.एफ.बी.सी.)	16 मी0टन/दिन
			95000 मी0 ³ वेस्ट हीट गैस
			200 मी0टन/दिन

20.	वर्तमान में विभिन्न मदों में जल उपभोग की वास्तविक मात्रा।	जल उपभोग का मद		जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
		घरेलू		15
		प्रक्रिया में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)		250
		कूलिंग में (वन्स थ्रू तथा मेकअप की मात्रा पृथक-पृथक उल्लेख करें। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)		
		बॉयलर		25
डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन में		-		

	वाशिंग में (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	-
	जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	-
	डस्ट सप्रेसन में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	50
	वृक्षारोपण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	150
	अन्य कार्यों में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	25

21.	वर्तमान में विभिन्न मर्दों से उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा।	उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत	उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
		घरेलू	10
		प्रक्रिया से	-
		कूलिंग ब्लोडाउन से	20
		बायलर ब्लोडाउन से	05
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	-
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	-
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	-
		अन्य कार्यों से	01
		कुल	36

22.	उत्पन्न निस्त्राव के लिये स्थापित उपचार व्यवस्था का विवरण।	उत्पन्न निस्त्राव का विवरण	उत्पन्न निस्त्राव के उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का तकनीकी विवरण सहित जानकारी।
		घरेलू	सैप्टिक टैंक/सोकपिट
		प्रक्रिया से	औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग हेतु प्रयुक्त जल का कूलिंग टॉवर में पुर्नचक्रण किये जाने से औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण परिसर से बाहर नहीं किया जाता है।
		कूलिंग ब्लोडाउन से	परिसर में निर्मित पॉड में एकत्रित किया जाता है, जिसे वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव में उपयोग किया जाता है।
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	-
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	-
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	परिसर में निर्मित पॉड में एकत्रित किया जाता है।
		अन्य कार्यों से	-

23.	उपचार उपरांत निस्त्राव के उपयोग के संबंध में जानकारी।	उपचारित निस्त्राव का विवरण	उपयोग किये जाने का विवरण एवं उपयोग की मात्रा
		घरेलू	-
		प्रक्रिया	-
		कूलिंग ब्लोडाउन	परिसर में निर्मित पॉड में एकत्रित किया जाता है जिसे वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव में उपयोग किया जाता है।
		बॉयलर ब्लोडाउन	-
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिनरी-जनरेशन	-
		वाशिंग (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	-
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	-
		अन्य कार्यों	-
कुल	-		

24.	उपचारित निस्त्राव के विभिन्न कार्यों में उपयोग उपरांत शेष निस्त्राव के उपयोग / अपवहन के संबंध में जानकारी।	शेष निस्त्राव का विवरण	अपवहन किये जाने का विवरण एवं अपवहन की मात्रा
		-	-
		-	-

25.	उपचारित निस्त्राव गुणवत्ता के लिये अधिकतम निर्धारित सीमा बाबत जानकारी।	उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत	उपचारित निस्त्राव गुणवत्ता के लिये अधिकतम निर्धारित सीमा (मिलीग्राम प्रति लीटर, पी.एच. को छोड़कर)					
			पी.एच.	एस.एस.	बी.ओ. डी.	सी.ओ. डी.	ऑयल एण्ड ग्रीस	अन्य
		घरेलू	-	-	-	-	-	-
		प्रक्रिया से	-	-	-	-	-	-
		कूलिंग ब्लोडाउन से	-	-	-	-	-	-
		बॉयलर ब्लोडाउन से	-	-	-	-	-	-
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिनरी-जनरेशन से	-	-	-	-	-	-
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	-	-	-	-	-	-
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	-	-	-	-	-	-
		अन्य कार्यों से	-	-	-	-	-	-

26. निस्त्राव की गुणवत्ता बाबत जानकारी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट संलग्न करें।	उद्योग जल प्रदूषणकारी प्रकृति का नहीं है।				
	उपचारित निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)	उपचार पूर्व गुणवत्ता		उपचार उपरांत गुणवत्ता	
		सेम्पलिंग स्थल/बिंदु का नाम -			सेम्पलिंग स्थल/बिंदु का नाम -
	-	पी.एच.	-	पी.एच.	-
		एस.एस.	-	एस.एस.	-
		बी.ओ.डी.	-	बी.ओ.डी.	-
		सी.ओ.डी.	-	सी.ओ.डी.	-
ऑयल एण्ड ग्रीस		-	ऑयल एण्ड ग्रीस	-	

27. क्या उपचारित निस्त्राव समीपस्थ नदी / नाले में मिलता है / मिलने की संभावना है? यदि हाँ तो ऐसी स्थिति में नदी/ नाले की अपस्ट्रीम में वर्तमान गुणवत्ता व श्रेणी तथा निस्त्राव के निस्सारण उपरांत डाउन स्ट्रीम में नदी /नाले की गुणवत्ता व निस्त्राव के समाहित करने की क्षमता पर विवेचना सहित जानकारी दी जावे।	नदी/नाले का नाम (जिसमें निस्त्राव निस्सारित किया जाता है / निस्सारित होने की संभावना है) - नहीं				
	निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)	अपस्ट्रीम में नदी / नाले की गुणवत्ता		डाउनस्ट्रीम में नदी / नाले की गुणवत्ता	
		पी.एच.	-	पी.एच.	-
	-	एस.एस.	-	एस.एस.	-
		बी.ओ.डी.	-	बी.ओ.डी.	-
		सी.ओ.डी.	-	सी.ओ.डी.	-
		क्लोराईड	-	क्लोराईड	-

28. निस्त्राव के आसानी से जैव अवकर्षणीय होने, निराविषी होने, आसानी से जैव अनवकर्षणीय होने अथवा विषी होने की संभावना के संबंध में जानकारी।	-
---	---

29. स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग हेतु प्रयुक्त जल का कूलिंग टॉवर के माध्यम से ठंडा कर पुनर्चक्रण किये जाने से औद्योगिक दूषित जल का निस्सारण परिसर से बाहर नहीं किया जाता है। बायलर ब्लोडाउन से उत्पन्न जल को परिसर में निर्मित पॉड में एकत्रित किया जाता है जिसे वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव में उपयोग किया जाता है।
---	---

30. ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत जानकारी।	ठोस अपशिष्टों का विवरण	ठोस अपशिष्टों की मात्रा (प्रतिदिन में)	एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार, अन्य कार्यों में उपयोग एवं अपवहन व्यवस्था का विवरण
	डोलोचार एवं चार	100 मी०टन	डोलोचार का उपयोग पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। चार का उपयोग कुछ मात्रा में पावर प्लांट में ईंधन के रूप में एवं अधिकांशतः स्थानीय स्तर पर विक्रय किया जाता है।
	बैग फिल्टर डस्ट (कोल डस्ट स्पंज आयरन डस्ट)	लगभग 15 मी०टन	कोल डस्ट का उपयोग क्लिन में कोल इंजेक्शन में उपयोग किया जाता है। स्पंज आयरन डस्ट का उपयोग ईंधन के रूप में एस.एम.एस. में किया जाता है।
	बैक फ्लो डस्ट/कोल डस्ट	लगभग 02 मी०टन	स्थानीय स्तर पर विक्रय किया जाता है।
	क्लिन एकेएशन	लगभग 35-40 टन। (दो माह में शट डाउन की स्थिति में)	भू-भरण में उपयोग किया जाता है।
	फलाई एश	लगभग 60 मी.टन/दिन	वर्तमान में भू-भरण में उपयोग किया जाता है। कुछ भाग फलाई एश ब्रिक्स निर्माताओं को विक्रय किया जाता है।
क्या उत्पन्न ठोस अपशिष्टों का अपवहन परिसर के बाहर किया जा रहा है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।	नहीं।		
ठोस अपशिष्टों के भू-भरण में उपयोग किये जाने के फलस्वरूप क्या लिचेट उत्पन्न हो रहा है? यदि हाँ, तो उसकी गुणवत्ता, एकत्रीकरण एवं अपवहन बाबत जानकारी दें।	-		
यदि राख उत्पन्न होता है, तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार उपयोग / अपवहन हेतु व्यवस्था का विवरण। (प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी तथा उद्योग द्वारा तदनुसार उपयोग / अपवहन की जानकारी।)	फलाई एश का शत प्रतिशत उचित उपयोग किया जाता है। जैसे फलाई एश ब्रिक्स निर्माताओं को दिया जाता है एवं बंद खदान में भू-भरण हेतु उपयोग किया जाता है।		

31.	स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	उपयुक्त।
-----	---	----------

32.	स्थापित बॉयलर, हीटर, फर्नेस, डी.जी. सेट आदि की जानकारी।	स्थापित संयंत्र का नाम	संख्या एवं क्षमता	प्रयुक्त ईंधन का नाम एवं मात्रा (प्रतिदिन में)	प्रयुक्त ईंधन में उपस्थित सल्फर की मात्रा (प्रतिशत में)
		डब्लू.एच. रिकवरी बॉयलर	संख्या-01 क्षमता-38 टीपीएच	वेस्टहीट गैस चलित 95000 मी ³ वेस्ट हीट गैस /घंटा	-
		ए.एफ.बी.सी. बॉयलर	संख्या-01 क्षमता-40 टी.पी.एच.	कोल एवं डोलाचार 200 मी ³ टन/दिन	-

33.	प्रोसेस प्लो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के स्रोत एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी।	स्रोत का नाम	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी
		क्लिन से संबद्ध डब्लू.एच. आर.बी. बॉयलर	ईएसपी	-
		ए.एफ.बी.सी. बॉयलर	ईएसपी	-
		पी.एस. बिन संख्या 02	बैग फिल्टर	-
		पी.एस.बिन	बैग फिल्टर	-
		कोल रॉ मटेरियल हॉपर, कशर	बैग फिल्टर	-
		आयरन ओर हॉपर एवं कशर	बैग फिल्टर	-

34.	फ्यूजिटिव डस्ट / गैसेस प्रदूषकों के उत्सर्जन के स्रोत एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। (समस्त कच्चे पदार्थों / उत्पादों / अपशिष्टों आदि के हथालन एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं अपवहन आदि के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव उत्सर्जन हेतु भी जानकारी दी जावे।)	स्रोत का नाम	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी
		पी.एस. बिन संख्या 02	बैग फिल्टर	-
		पी.एस.बिन	बैग फिल्टर	-
		कोल रॉ मटेरियल हॉपर, कशर	बैग फिल्टर	-
		आयरन ओर हॉपर एवं कशर	बैग फिल्टर	-

35.	प्रोसेस प्लो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन हेतु स्थापित	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का नाम	स्थापित ऊँचाई	ऊँचाई की उपयुक्तता बाबत् जानकारी।
		क्लिन से संबद्ध डब्लू.एच.आर.बी. बॉयलर	ईएसपी	75 मीटर (संयुक्त चिमनी)	निर्धारित मापदण्ड अनुसार।

	चिमनियों के संबंध में जानकारी। (डी.जी. सेट आदि उत्सर्जन स्रोतों बाबत भी जानकारी दी जावे।)	ए.एफ.बी.सी. बॉयलर	ईएसपी		
--	---	-------------------	-------	--	--

36.	वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन की मात्रा के संबंध में जानकारी।	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	फ्लू गैस की मात्रा (घनमीटर/घंटा)	वायु प्रदूषकों (पी.एम./एस.ओ. टू/अन्य) का नाम एवं उपचार उपरांत उत्सर्जन की मात्रा (किलोग्राम/घंटा)	
		-			

37.	वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन की निर्धारित अधिकतम सीमा की तुलना में सांद्रता के संबंध में जानकारी।	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	वायु प्रदूषकों की अधिकतम सीमा एवं उत्सर्जन की सांद्रता (मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर)				
				पी.एम. की सीमा	पी.एम. की सांद्रता की सीमा की सांद्रता
			एफ.बी.सी. चिमनी	50			

38.	स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	उपयुक्त।
-----	---	----------

39.	वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी।	वृक्षारोपण हेतु कुल उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल।	लगभग 10.0 एकड़
		परिसर के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकास किये जाने के संबंध में उपलब्ध भूमि का विवरण (सम्मति शर्त अनुसार परिसर के चारों तरफ कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना आवश्यक है तथा इस हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। इस बाबत पूर्ण जानकारी देवे।) ग्रीन बेल्ट विकास हेतु की गई कार्यवाही एवं वृक्षारोपण संबंधी जानकारी।	उद्योग परिसर के चारों ओर 30-35 मीटर चौड़ाई की हरित पट्टिका विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खुली उपलब्ध भूमि में अतिरिक्त वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान किया जाना बताया गया है। वृक्षारोपण किये जाने हेतु पृथक से कोष एवं अधिकारी पदस्थ है जिसके मार्गदर्शन में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।
		वृक्षारोपण में उपयोग किये जाने वाले उपचारित निस्त्राव की मात्रा एवं इस हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त होने संबंधी जानकारी।	-

		<p>उद्योग द्वारा वृक्षारोपण प्लान बाबत जानकारी।</p>	<p>उद्योग द्वारा वृक्षारोपण प्लान बाबत जानकारी।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विचाराधीन वर्ष में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित क्षेत्रफल - 30 एकड़ 2. विचाराधीन वर्ष में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य- 3. विचाराधीन वर्ष में किये गये वृक्षारोपण की संख्या- 34500 4. विचाराधीन वर्ष में कहीं-कहाँ वृक्षारोपण किया गया- खुली भूमि पर, रोड़ साईड पर एवं परिसर के अंदर। 5. आगामी वर्ष में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल- 6. आगामी वर्ष में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य- 7. आगामी वर्ष में प्रस्तावित वृक्षारोपण की संख्या- 8. आगामी वर्ष में वृक्षारोपण पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित समयावधि- 9. आगामी वर्ष में कहीं-कहाँ वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है - खुली भूमि पर। 10. स्थापना सम्मति आवेदन के प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी। <p>इस वर्ष 2014 में 12,000 पौधों का रोपण किया गया है। आगामी वर्ष 2015-16 में लगभग 10,000 वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है।</p>
--	--	---	---

40.	<p>उद्योग संचालन / प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायत का विवरण एवं निरीक्षण उपरांत तथ्यों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण। (यदि कोई हो।)</p>	-
-----	---	---

41.	<p>रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित व्यवस्था के संबंध में जानकारी।</p>	<p>उद्योग द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के तहत तीन पॉड बनाये गये है।</p>
-----	--	--

42.	<p>वर्षा जल के साथ कच्चे पदार्थों, उत्पादों, ईंधन, अपशिष्टों आदि के बहाव की रोकथाम हेतु स्थापित व्यवस्था। (गारलेण्ड ड्रेन, चेकडेम आदि) की जानकारी।</p>	<p>गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की गई है।</p>
-----	--	---

43.	जल संचालन सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की विस्तृत बिंदुवार जानकारी— संलग्न है।		
	शर्त क्रमांक	शर्त का विवरण	शर्त के पालनार्थ उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी।
			यदि शर्त का पालन आशिक रूप से पालन हुआ है / नहीं हुआ है, तो इस हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण एवं इसकी पूर्ति हेतु संभावित समय सीमा
	संलग्नक-1		


44.	वायु संचालन सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की विस्तृत बिंदुवार जानकारी— संलग्न है।		
	शर्त क्रमांक	शर्त का विवरण	शर्त के पालनार्थ उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी।
			यदि शर्त का पालन आशिक रूप से पालन हुआ है / नहीं हुआ है, तो इस हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण एवं इसकी पूर्ति हेतु संभावित समय सीमा
	संलग्नक-2		


45.	अन्य विवरण।	-
-----	-------------	---

46.	सम्मति वैद्यता वृद्धि / सम्मति नवीनीकरण में यदि कोई विशेष शर्त अधिरोपित किया जाना हो तो स्पष्ट रूप से इस बाबत जानकारी दें।	-
-----	--	---

47.	सम्मति वैद्यता वृद्धि / सम्मति नवीनीकरण जारी करने बाबत स्पष्ट अभिमत।	उद्योग के सम्मति नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा है।
-----	--	--

48.	उद्योग के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही (यदि कोई हो।) का विवरण।	-
-----	---	---


डॉ० अनीता सावंत,
वैज्ञानिक


अजय गेडाम
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई

जल सम्मति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	विवरण	शर्त के पालनार्थ उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही
1.	Industry shall operate and maintained.Zero discharged conditions shall be maintained all the time.	उद्योग से किसी भी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण नहीं होता है। दूषित जल के शून्य निस्सारण स्थिति बनाई गई है।
2.	Industry shall submit..... regularly.	उद्योग सहमत है।
3.	Char/dolochar genetated fromdispose the solid waste in any dump area.	चार डोलोचार का उपयोग एफ.बी.सी. में ईंधन के रूप में किया जाता है। सभी रॉ मटेरियल को पक्के प्लेटफार्म में रखा जाता है। किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट का जमाव प्लांट परिसर में नहीं है। पावर प्लांट से उत्पन्न राख का उचित उपयोग जैसे फ्लायैश ब्रिक्स निर्माताओं एवं बंद खदान के भरण में किया जाता है।
4.	Ash/dust shall not be stored construction/repairing activities.	वर्तमान में उद्योग से उत्पन्न एश को फ्लायैश ब्रिक्स निर्माताओं को दिया जाता है। फ्लायैश ब्रिक्स का उपयोग सभी निर्माण में किया जाता है। उत्पन्न फ्लायैश एश का उक्त सभी कार्यो में उपयोग उपरांत शेष फ्लायैश एश को मुड़ीपार में स्थित बंद माईनिंग पिट में डाल दिया जाता है।
5.	All Internal road shall beshall be made pucca shortly.	सभी मुख्य मार्गों एवं आंतरिक मार्गों को सीमेंट कांकीट किया जा चुका है।
6.	Wide green belt of broad leafat-least 33% area of total plant area.	उद्योग परिसर के चारो ओर 30-35 मीटर चौड़ाई की हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खुली उपलब्ध भूमि में अतिरिक्त वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है। आज दिनांक तक 34500 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। वर्ष 2014 में 12,000 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा आगामी वर्ष 2015-16 में 10,000 वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
7.	Industry shall submit30 th September every year.	उद्योग सहमत है।

वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	विवरण	शर्त के पालनार्थ उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही
1.	Industry shall operate.....rectified to achieve the desired efficiency.	स्पंज आयरन क्लिन व पावर प्लांट में ई.एस.पी. की स्थापना की गई है। उत्सर्जन की सीमा बोर्ड के निर्देशानुसार पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/घन मीटर के भीतर पाई जाती है।
2.	Minimum height of all the stackGazette Notification GSR 414 (E) dated 30/05/2008.	उद्योग सहमत है।
3.	Regular monitoring for the measurementregularly every month.	उद्योग द्वारा ऑन लाईन एम्बीयेन्ट मॉनीटरिंग स्टेशन की स्थापना की जा चुकी है। स्टैक मानिटरिंग की जाती है, जिसकी रिपोर्ट क्षेत्र कार्यालय, भिलाई में जमा की जाती है। ओपेसिटी मीटर की स्थापना कर ली गई है।
4.	Industry shall transport.....avoid fugitive dust emission.	सभी रॉ मटेरियल व ठोस अपशिष्ट का परिवहन ट्रक द्वारा ढककर (कवर्ड) कर किया जाता है। रोड में जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है जिससे फ्युजिटिव उत्सर्जन नहीं होता है।
5.	Char/dolochar generated from sponge.....solid wastes in dump area.	चार डोलोचार का उपयोग एफ.बी.सी. में ईधन के रूप में किया जाता है। सभी रॉ मटेरियल को पक्के प्लेटफार्म में रखा जाता है। किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट का जमाव प्लांट परिसर में नहीं है। पावर प्लांट से उत्पन्न राख का उचित उपयोग जैसे फलाई एष ब्रिक्स निर्माताओं एवं बंद खदान के भरण किया जाता है।
6.	Ash/dust shall not be storedconstruction/repairing activities.	वर्तमान में उद्योग से उत्पन्न ऐश को फलाई एष ब्रिक्स निर्माताओं को दिया जाता है। फलाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग सभी निर्माण में किया जाता है। उत्पन्न फलाई ऐश का उक्त सभी कार्यों में उपयोग उपरांत शेष फलाई ऐश को मुडीपार में स्थित बंद माईनिंग पिट में डाल दिया जाता है।
7.	All internal road shall be madeshall be made pucca shortly.	सभी मुख्य मार्गों एवं आंतरिक मार्गों को सीमेंट कांकीट किया जा चुका है।
8.	Char/dolochar genetated fromsoil and plantation without delay.	चार एवं डोलोचार का उपयोग पावर जनरेशन में किया जा रहा है। वर्तमान में उद्योग से उत्पन्न ऐश का उपयोग स्वयं के उद्योग परिसर में लो-लाईग एरिया में भू-भरण में किया जाता है।

<p>9. Wide green belt of broad leaf at-least 33% area of total plant area.</p>	<p>उद्योग परिसर के चारो ओर 30-35 मीटर चौड़ाई की हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खुली उपलब्ध भूमि में अतिरिक्त वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है। आज दिनांक तक 34500 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। वर्ष 2014 में 12,000 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा आगामी वर्ष 2015-16 में 10,000 वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>10. Industry shall submit Environment Statement 30th September every year.</p>	<p>उद्योग सहमत है।</p>



R.No-556

REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
5/32 Bungalow, Bhilai, Distt. Durg (C.G.)

AIR MONITORING REPORT

1	NAME OF PLACE	-	M/s. Crust Steel & Power Pvt.Ltd., Village - Joratrai, Distt.-Rajnandgaon
2	DATE OF MONITORING	-	29.12.2014
3	DATE OF ANALYSIS	-	29.12.2014
4	MONITORED BY	-	G.P.Patel & S.K. Vishwakarma (Lab.Att.)
5	Referance	-	-


STACK EMISSION

S.NO.	MONITORING LOCATION	UNITS	CHARACTERISTICS	
			PARTICULATE MATTER	OTHER
1.	Kiln Stack (1 x 350 TPD+WHRB+AFBC)	Mg/Nm ³	46.88	-
2.LIMIT			50	-

(B) AMBIENT AIR QUALITY

S.NO.	MONITORING LOCATION	UNITS	CHARACTERISTICS			
			SPM	SO ₂	NO _x	OTHER
1.	Near D.M. Plant	µg/m ³	472.38	22.5	27.94	-
2.	Near online monitoring station	µg/m ³	450.72	23.75	27.94	-
LIMIT			500	80	80	-

REMARK :- 1. Parameters Exceeds the limits as per Board Standards.
2. During the monitoring weather was clear & wind direction was variable.


CHEMIST


SCIENTIST


REGIONAL OFFICER

7 Annexure 1

A. Format of inspection

- a. Consent to Establish: Please follow the following link-
<http://www.enviscecb.org/Inspection%20Formats/Establish.pdf>
- b. Consent to Establish (Expansion): Please follow the following link-
<http://www.enviscecb.org/Inspection%20Formats/Expansion.pdf>
- c. Consent to Operate: Please follow the following link-
<http://www.enviscecb.org/Inspection%20Formats/Operate.pdf>
- d. Consent to Renewal: Please follow the following link-
<http://www.enviscecb.org/Inspection%20Formats/Renewal.pdf>